भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :421

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2023

हाथ से मैला ढोने से मुक्त हुए जिले

421. श्री विद्युत बरन महतो:
श्री देवजी पटेल:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने न तो स्वयं को हाथ से मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है और न ही मौजूदा अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों का कोई ब्यौरा अपलोड किया है;

(ख) किन कारणों से अभी भी बड़ी संख्या में जिले खतरनाक और अस्वच्छ प्रथा पर काबू नहीं पा सके हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, दिनांक 06.12.2013 से देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक निषिद्ध कार्यकलाप है। सभी जिलों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा से मुक्त घोषित करें अथवा इससे जुड़े अस्वच्छ शौचालयों तथा मैनुअल स्कैवेंजरों का आकड़ा "स्वच्छता अभियान" मोबाइल ऐप पर अपलोड करें। दिनांक 29.11.2023 तक, देश के 766 जिलों में से 714 जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त सूचित किया है।

******